

प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक-29.04.2026 को अपराह्न 03:30 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुरूप ।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक-17.03.2026 को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है ।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 39 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं । सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण-पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है । कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है । समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:-

दिनांक-29.04.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन कार्यावली संख्या - 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 17.03.2026 का लंबित संशोधित समय-सारणी ।

क्र० सं०	वाहन सं०/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
1	BR34P-7631 (04.02.2026) श्री धर्मबीर सहनी, पिता-श्री सुधीर सहनी, पता-बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला-खगड़िया ।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर । भाया-महेशखूंट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर । ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-22.07.26 फिटनेस-03.02.28 बीमा-29.01.27 प्रदूषण-03.02.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-BR11PD-9418 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय-सारणी से ओवर टेकिंग है जो निम्न प्रकार है । खगड़िया से मेरी वाहन सं०-BR11PD-9418 सुबह 04:32 बजे खुलती जबकि आवेदनकर्ता का वाहन सं०-BR34P-7631 सुबह 04:35 में खुलती है । ये वाहन मेरे वाहन से पीछे खुलती है और महेशखूंट में मेरे वाहन को ओवर टेकिंग करते हुए मेरे वाहन के समय-सारणी 05:30 सुबह के आगे 05:28 बजे सुबह आवेदन किया है जो प्राधिकार के निर्णय के खिलाफ है । अतः आवेदनकर्ता के वाहन सं०-BR34P-7631 पर पूर्व की बैठक में भी ओवर टेकिंग का आवेदन दिया हूँ । अतः आवेदनकर्ता के आवेदन का ओवर टेकिंग को देखते हुए आवेदन निरस्त करने की कृपा की जाय ।	➤ आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर है । आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है । ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी पर ओवर टेकिंग से संबंधित मामले संज्ञान में लाया गया है । प्रथम आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खगड़िया प्र० 04:35 (पीछे) 04:32 महेशखूंट प्र० 05:28 (आगे) 05:30 उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा ओवर टेकिंग किया जा रहा है । प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 में आवेदनकर्ता को संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है । अतः

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी का कहना है कि वाहन सं०-BR34P-9418 खगड़िया से 04:40 सुबह खुलती है जबकि आवेदित वाहन सं०-BR34P-7631 सुबह 04:35 खुलती है। महेशखूंट में मेरे वाहन के समय 05:20 के पीछे 05:28 सुबह खुलती है और बेलदौर में मेरे वाहन के समय-सारणी 06:35 सुबह के पीछे 06:40 बजे आवेदन दिये हैं। वाहन स्वामी कृष्ण मोहन वाहन सं०-BR34P-6399 के बेलदौर में 16:34 के आगे 16:32 बजे आवेदन दिये हैं जो उसराहा में मेरे वाहन के समय-सारणी 17:03 के पीछे 17:08 आवेदन किये हैं। वाहन स्वामी शैलेश कुमार मेरी वाहन सं०-BR19P-9918 आलमनगर से 15:55 के आगे आवेदित वाहन 15:34 दिये हैं जो महेशखूंट में मेरे वाहन के समय-सारणी 17:35 के पीछे 18:01 बजे आवेदित वाहन का समय-सारणी है। हमलोंगो के वाहन से ओवर टेकिंग है, जिसकी जाँच कर आवेदन को निरस्त करने की कृपा की जाय।	➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी पर ओवर टेकिंग से संबंधित मामले संज्ञान में लाया गया है। द्वितीय आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खगड़िया प्र० 04:35 (आगे) 04:40 महेशखूंट प्र० 05:28 (पीछे) 05:20 बेलदौर प्र० 06:40 (पीछे) 06:35 बेलदौर प्र० 16:32 (आगे) 16:34 उसराहा प्र० 17:08 (पीछे) 17:03 आलमनगर प्र० 15:34 (आगे) 15:55 महेशखूंट प्र० 18:01 (पीछे) 17:35 उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा ओवर टेकिंग किया जा रहा है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 में आवेदनकर्ता को संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है। अतः परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
2	BR46P-8181 (23.05.2018) श्री रंजन कुमार सिंह, पिता-श्री शम्भू सिंह, पता-बसैया, पथकचक जिला-जमुई।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मल्लपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-20.05.26 फिटनेश-01.12.26 बीमा-25.12.26 प्रदूषण-26.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार, वाहन सं०-BR52P-5853 का कहना है कि प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं है। आवेदनकर्ता को संशोधित अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता मुख्य बिन्दु आढ़ा में 07:20, 11:13 एवं 14:58 का संशोधित समय-सारणी दिये हैं जो प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन है। आढ़ा में आवेदनकर्ता 11:56 में प्रस्थान करते हैं तथा आपत्तिकर्ता 11:55 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता आढ़ा से आपत्तिकर्ता के 01 (एक) मिनट पीछे प्रस्थान कर सिकन्दरा में ओवर टेक कर आपत्तिकर्ता के आगे हो	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मल्लपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी पर ओवर टेकिंग से संबंधित मामले तथा परमिट प्रत्यापण नहीं किये जाने संबंधित आपत्ति दर्ज किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आढ़ा प्र० 11:56 (पीछे) 11:55 सिकन्दरा प्र० 12:38 (आगे) 12:40 उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				ओवर टेक कर आपत्तिकर्ता के आगे हो जाते हैं। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता सिकन्दरा प्र० 12:38 12:40 प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध आवेदनकर्ता पूर्व के परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं।	है कि आवेदनकर्ता द्वारा ओवर टेकिंग किया जा रहा है एवं आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यापण नहीं किया गया है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 में आवेदनकर्ता को संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है। अतः परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
3	BR46P-5350 (22.11.2018) श्री राजीव कुमार सिंह, पिता-श्री शम्भू प्रसाद सिंह, पता-महिसौरी जिला-जमुई।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मल्लपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-25.04.26 फिटनेश-06.12.26 बीमा-25.12.26 प्रदूषण-02.12.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री प्रभाष कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-5739 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता महिसौड़ी चौक प्र० 09:22 09:22 महिसौड़ी चौक में आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का समय-सारणी Same है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार, वाहन सं०-BR21P-8137 का कहना है कि प्राधिकार के निर्णय के अनुसार आवेदनकर्ता को मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं है। आवेदनकर्ता को संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया गया है। आवेदनकर्ता मुख्य बिन्दु आढ़ा में 07:20, 11:13 एवं 14:58 में संशोधित समय-सारणी दिये हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता मुख्य बिन्दु में संशोधित समय-सारणी दिये हैं जो प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध है।	➤ आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मल्लपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के संशोधित समय-सारणी के मध्य बिन्दु महिसौड़ी चौक में प्रस्थान समय 09:22 पर टकराव है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 में आवेदनकर्ता को संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है। अतः परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी पर टकराव संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई है। परन्तु आवेदनकर्ता के संशोधित समय-सारणी में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव संबंधित आपत्ति की गयी है। अतः उपरोक्त टकराव एवं मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

4	BR09PB-0977 (17.03.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति—श्री अमरजीत कुमार, पता—पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला—बेगूसराय।	प्रकाशन—10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3015 डाउन, बेगूसराय से अलौली, भाया—मंझौल, बखरी, आशापोखर एवं हरिपुर। ट्रिप—03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स—12.06.26 फिटनेस—16.03.28 बीमा—12.03.27 प्रदूषण—16.03.27	➤ आपत्तिकर्ता मैं नीरज कुमार सिंह, वाहन संख्या BR-50P-1665 का निबंधित स्वामी हूँ और मुझे उक्त वाहन के पक्ष में इस प्राधिकार से मार्ग संख्या 3171 बरौनी जंक्शन से बखरी पर एक स्थाई परमिट निर्गत है जिसकी मान्यता 2031 तक है जिसमे बेगूसराय के साथ बखरी तक सभी ठहराव स्थल यथा मंझौल दोनों मार्गों में समान है और मार्ग की कुल दुरी 50 किलोमीटर और 48 किलोमीटर है यानि मात्र 2 किलोमीटर दुरी ही दोनों मार्गों में भिन्न है और छोटी दुरी के मार्गों में 5 मिनट का अन्तराल भी वाहन परिचालन के लिए अलाभकारी हो जाता है और प्राधिकार के द्वारा मार्ग संख्या समान होने का फायदा उठाकर वाहन स्वामी पूर्व के परमिट के समय सारिणी के आगे का समय प्राप्त कर पूर्व के परमिट परिचालन को समाप्त करवाने का प्रयास करते है/ राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना ने अपने दिनांक 22.11.2021 के नीतिगत निर्णय में समान मार्ग और भिन्न मार्ग की परिभाषा को स्पष्ट किया है जिसे पूर्व की आपत्ति के साथ दाखिल किया हूँ/ उक्त के आलोक में आवेदक के द्वारा बखरी मुख्य बिंदु पर मात्र 1 मिनट आगे का प्रस्ताव दिया गया था जो सही नहीं था और प्राधिकार के द्वारा उक्त बातों को संज्ञान में लेते हुए आवेदक को निर्गत समय सारिणी के पीछे का संशोधित समय सारिणी दाखिल करने हेतु एक मौका दिया गया है/ परंतु आवेदक ने पुनः एक बिंदु बखरी में पीछे का समय न देकर आगे 2 मिनट का प्रस्ताव दिया है और मंझौल और बेगूसराय पर कोई संशोधित समय सारिणी दाखिल नहीं किया है/ इस प्रकार आवेदक के द्वारा इस प्राधिकार के	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3015 डाउन बेगूसराय से अलौली है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3171 डाउन बखरी से बरौनी जंक्शन है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय—सारणी से आवेदनकर्ता के आवेदित समय—सारणी के मध्य बिन्दु बखरी में प्रस्थान समय 08:25 पर, मध्य बिन्दु मंझौल में प्रस्थान समय 09:08 पर एवं मुख्य बिन्दु बेगूसराय में प्रस्थान समय 10:30 पर टकराव संबंधित आपत्ति दर्ज की गयी है। आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदनकर्ता के अन्य 17 वाहन के निर्गत परमिट पर सभी 6 अप 6 डाउन तथा 8 अप 8 डाउन का प्राप्त निर्गत परमिट की VLTD जाँच कराने हेतु आपत्ति दर्ज की गयी है, परन्तु आवेदनकर्ता का 17 निर्गत परमिट का वाहन संख्या आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय—सारणी से आवेदनकर्ता के आवेदित समय—सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बखरी प्र० 08:25(2मिनट आगे) 08:27 मंझौल प्र० 09:08(2मिनट आगे) 09:10 बेगू० प्र० 10:30(3मिनट आगे) 10:33 आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त टकराव पर आपत्ति दर्ज की गई, परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
---	---	---	--	---	---

अपर समाहर्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			निर्णय का उल्लंघन करते हुए पुनः संशोधित समय सारिणी दाखिल किये हैं / वर्तमान में आवेदक का संशोधित समय सारिणी निम्न है: आवेदनकर्ता पड़ाव स्थल आपत्तिकर्ता 08.25 बखरी(मुख्य बिंदु) 08.27 09.08 मंझौल(मध्य बिंदु) 09.10 10.30 बेगुसराय(मुख्य बिंदु) 10.33 इतना ही नहीं न्याय रथ के द्वारा वर्तमान में बेगुसराय से बखरी मार्ग पर करीब 17 परमिट सभी 6 से 8 खेप का प्राप्त किये हैं परंतु कोई भी वाहन अपने पुरे मार्ग पर खेपों के अनुसार कभी भी नहीं चली है जिसकी जाँच VLTD से कराये जाने पर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी जैसा की मैंने अपने पूरे के आपत्ति में लिखा था परंतु अभी तक उक्त परमितो के परिचालन के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं हो सकी है / उनके द्वारा सिर्फ दूसरे वाहन स्वामी के सेवा समाप्त करने हेतु नई परमित प्राप्त किया जा रहा है/ और ऐसे वाहन स्वामी को जो मात्र मार्ग में समय अन्तराल को निरुद्ध किये हुए हैं और अन्य वाहन स्वामी को परमित प्राप्ति से वंचित किये हुए हैं, प्राधिकार के द्वारा परमित दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि परमित मार्ग के यात्रियों के सुविधा हेतु दिया जाता है न की वाहन स्वामी के सुविधा और उनके मर्जी के लिए / मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमित धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शक्ति दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को	
--	--	--	---	--

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमें बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातों पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/													
5	BR09PB-0972 (17.03.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-श्री अमरजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगुसराय।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.06.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं०-BR10P-7279 का कहना है कि आवेदनकर्ता का आवेदन पूर्व की बैठक दि०-17.03.2026 की बैठक में विचार हेतु रखा गया था। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार आवेदनकर्ता को निर्गत परमिट से पीछे का समय-सारणी संशोधित कर समर्पित करने का एक मौका दिया गया था, जो कि आवेदनकर्ता द्वारा प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन कर संशोधित समय-सारणी नहीं दिया गया। प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र० 10:19</td><td>10:20</td></tr><tr><td>बलिया प्र० 11:00</td><td>11:00</td></tr></table> अतः आवेदनकर्ता बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 01 (एक) मिनट तथा बलिया में Same समय-सारणी है। आवेदनकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी नहीं दिया गया है जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्रीमती मीनू देवी, वाहन सं०-BR09PA-6784 का कहना है कि नई वाहन सं०-	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र० 10:19	10:20	बलिया प्र० 11:00	11:00	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है, प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के आवेदित समय-सारणी के मुख्य बिन्दु बेगूसराय एवं मध्य बिन्दु बलिया में टकराव निम्न है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र० 10:19(1मि० आगे)</td><td>10:20</td></tr><tr><td>बलिया प्र० 11:00(समान समय)</td><td>11:00</td></tr></table> प्रथम आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त टकराव पर आपत्ति दर्ज की गयी, परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के आवेदित समय	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र० 10:19(1मि० आगे)	10:20	बलिया प्र० 11:00(समान समय)	11:00
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																
बेगूसराय प्र० 10:19	10:20																
बलिया प्र० 11:00	11:00																
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																
बेगूसराय प्र० 10:19(1मि० आगे)	10:20																
बलिया प्र० 11:00(समान समय)	11:00																

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				BR09PB-0972 चेचिस सं०-MB1PAEDD8TASS9247 रूपम कुमारी के परमिट आवेदन पर आपत्तिकर्ता मीनू देवी, वाहन सं०-BR09PA-6784 द्वारा समय-सारणी के संबंध में आपत्ति लगायी गयी थी। आवेदनकर्ता का आवेदन प्राधिकार की बैठक में विचार हेतु रखा गया था। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार निर्गत परमिट से पीछे का समय-सारणी संशोधित करने का एक मौका का आदेश आवेदनकर्ता को दिया गया था। आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी के संबंध में आपत्ति इस प्रकार थी। <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>परबत्ता प्र० 06:10</td><td>06:13</td></tr><tr><td>मडैया प्र० 06:28</td><td>06:30</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र० 07:14</td><td>07:15</td></tr><tr><td>मानसी प्र० 07:33</td><td>07:35</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र० 07:49</td><td>07:50</td></tr><tr><td>बलिया प्र० 08:29</td><td>08:30</td></tr><tr><td>जमालपुर प्र० 06:48</td><td>06:50</td></tr></table> आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित समय-सारणी में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदनकर्ता द्वारा प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन किया गया है। आवेदनकर्ता प्राधिकार के आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का परमिट आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	परबत्ता प्र० 06:10	06:13	मडैया प्र० 06:28	06:30	महेशखूंट प्र० 07:14	07:15	मानसी प्र० 07:33	07:35	खगड़िया प्र० 07:49	07:50	बलिया प्र० 08:29	08:30	जमालपुर प्र० 06:48	06:50	-सारणी निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता परबत्ता प्र० 06:10(3मिनट आगे) 06:13 मडैया प्र० 06:28(2मिनट आगे) 06:30 महेशखूंट प्र० 07:14(1मि० आगे) 07:15 मानसी प्र० 07:33(2मि० आगे) 07:35 खगड़िया प्र० 07:49(1मि० आगे) 07:50 बलिया प्र० 08:29(1 मि० आगे) 08:30 जमालपुर प्र० 06:48(2मि० आगे) 06:50 आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त टकराव पर आपत्ति दर्ज की गई, परन्तु द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																				
परबत्ता प्र० 06:10	06:13																				
मडैया प्र० 06:28	06:30																				
महेशखूंट प्र० 07:14	07:15																				
मानसी प्र० 07:33	07:35																				
खगड़िया प्र० 07:49	07:50																				
बलिया प्र० 08:29	08:30																				
जमालपुर प्र० 06:48	06:50																				
6	BR09PB-0974 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.06.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री अनिश कुमार सिंह, वाहन सं०-BR11PA-3011 का कहना है कि आवेदनकर्ता बुलबुल देवी नई वाहन चेचिस सं०-MB1PAEDD1TASS8215 के परमिट आवेदन पर अनिश कुमार सिंह, वाहन सं०-BR11PA-3011 द्वारा समय-सारणी के संबंध में आपत्ति लगाया गया था। आवेदनकर्ता को प्राधिकार के निर्णय के अनुसार आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। आवेदनकर्ता निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया गया है। <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>कबेला प्र० 07:25</td><td>07:30</td></tr></table>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	कबेला प्र० 07:25	07:30	➤ आवेदनकर्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग समान है तथा द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी पर आपत्ति न करते हुए प्रस्तावित समय-सारणी पर आपत्ति दर्ज की गयी है, परन्तु आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा समर्पित संशोधित समय-सारणी निर्गत परमिट से 05,												
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																				
कबेला प्र० 07:25	07:30																				

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				नयागाँव प्र0 07:38 07:40 परबत्ता प्र0 08:00 08:10 मरैया प्र0 08:25 08:30 जमालपुर प्र0 08:50 09:00 महेशखूंट प्र0 09:15 09:39 मानसी प्र0 09:35 10:02 खगड़िया प्र0 09:50 10:22 बलिया प्र0 10:30 10:58 आवेदनकर्ता द्वारा निर्गत परमिट के पीछे का समय-सारणी नहीं दिये हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता द्वारा प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन किया जा रहा है। आवेदनकर्ता का परमिट आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्रीमति सुधा सिंह, वाहन सं0-BR01PC-6737 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 13:14 13:15 खगड़िया प्र0 14:35 14:50 जमालपुर प्र0 16:00 16:10 मरैया प्र0 16:25 16:30 परबत्ता प्र0 16:50 17:00 अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदनकर्ता द्वारा आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	02, 10, 05, 10, 24, 17, 32 एवं 28 मिनट आगे का संशोधित समय-सारणी दी गयी है। प्रथम आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट से आवेदनकर्ता द्वारा आगे का समय-सारणी दिया गया है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0-17.03.2026 को आवेदनकर्ता को निदेशित किया गया था कि वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय-सारणी समर्पित करना है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता द्वारा संशोधित समय-सारणी पर टकराव संबंधित आपत्ति कि गई है। परन्तु द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव आवेदनकर्ता द्वारा प्राधिकार के निदेशानुसार वाहन का निबंधन पुस्तिका कार्यालय में समर्पित किया गया, परन्तु निर्गत परमिट से आगे का संशोधित समय-सारणी समर्पित किया गया है एवं प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
7	BR09PB-0975 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3001, शहरबन्नी से बेगूसराय। भाया-ज्वालापुर चौक, हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-12.06.26 फिटनेस-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	➤ आपत्तिकर्ता मैं दिलीप कुमार, वाहन संख्या BR-06PC-5310 का निबंधित स्वामी हूँ और मुझे उक्त वाहन के पक्ष में इस प्राधिकार से मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगूसराय पर एक स्थाई परमिट निर्गत है जिसकी मान्यता 6.11.2030 तक है जिसमें बेगूसराय मुख्य बिंदु के साथ मध्य बिंदु का सभी ठहराव स्थल यथा मंझौल, बखरी, आशापोखर, हरिपुर दोनों मार्गों में समान है और मार्ग की कुल दूरी 50	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3001 शहरबन्नी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से मुख्य बिन्दु बेगूसराय में प्रस्थान समय 08:23 पर एवं मध्य बिन्दु मंझौल में प्रस्थान समय 09:08 पर टकराव संबंधित आपत्ति दर्ज की गयी है। आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			किलोमीटर और 48 किलोमीटर है यानि मात्र 2 किलोमीटर दुरी ही दोनों मार्गों में भिन्न है और छोटी दुरी के मार्गों में 5 मिनट का अन्तराल भी वाहन परिचालन के लिए अलाभकारी हो जाता है और प्राधिकार के द्वारा मार्ग संख्या समान होने का फायदा उठाकर वाहन स्वामी पूर्व के परमिट के समय सारिणी के आगे का समय प्राप्त कर पूर्व के परमिट परिचालन को समाप्त करवाने का प्रयास करते है/ राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना ने अपने दिनांक 22.11.2021 के नीतिगत निर्णय में समान मार्ग और भिन्न मार्ग की परिभाषा को स्पस्ट किया है जिसे मैंने अपने पूर्व की आपत्ति में दाखिल किया है/ उक्त के आलोक में आवेदक के द्वारा बेगुसराय मुख्य बिंदु पर मात्र 1 मिनट आगे का प्रस्ताव दिया गया था जिसे प्राधिकार के द्वारा संशोधित समय सारिणी निर्गत परमिट के समय सारिणी के पीछे का समय प्रस्तावित करने का आदेश दिया गया है परंतु आवेदक ने पुनः सिर्फ एक बिंदु बेगुसराय में 1 मिनट के बदले 2 मिनट आगे का प्रस्ताव दिये है और मंझौल में कोई भी संशोधन दाखिल नहीं किये है जो सही नहीं है/ आवेदनकर्ता पड़ाव स्थल आपत्तिकर्ता 08.23 बेगुसराय(मुख्य बिंदु) 08.25 09.08 मंझौल(मध्य बिंदु) 09.10 इतना ही नहीं न्याय रथ के द्वारा वर्तमान में बेगुसराय से हरिपुर करीब 98% मार्ग समान पर करीब 17 परमिट 6 से 8 खेप का प्राप्त किये है परंतु कोई भी वाहन अपने पुरे मार्ग पर खेपो के अनुसार कभी भी नहीं चली है जिसकी जाँच VLTD से कराये जाने पर स्थिति स्पस्ट हो जायेगी/ उनके द्वारा सिर्फ	से आवेदनकर्ता के आवेदित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगुसराय प्र0 08:23(2मि0 आगे) 08:25 मंझौल प्र0 09:08(2 मि0 आगे) 09:10 आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त टकराव पर आपत्ति दर्ज की गई, परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
--	--	--	---	--

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			दुसरे वाहन स्वामी के सेवा समाप्त करने हेतु नई परमिट प्राप्त किया जा रहा है/ और ऐसे वाहन स्वामी को जो मात्र मार्ग में समय अन्तराल को निरुद्ध किये हुए हैं और अन्य वाहन स्वामी को परमिट प्राप्ति से वंचित किये हुए हैं, प्राधिकार के द्वारा परमिट दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि परमिट मार्ग के यात्रियों के सुविधा हेतु दिया जाता है न की वाहन स्वामी के सुविधा और उनके मर्जी के लिए / मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शक्ति दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एवम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमें बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/ प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातों का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/ प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/	
--	--	--	---	--

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातों पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।	
8	BR09PB-0842 (11.02.2026) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-श्री फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3107 डाउन, बेगूसराय से हसनपुर। भाया-मंझौल एवं गढ़पुरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-10.05.26 फिटनेश-10.02.28 बीमा-08.02.27 प्रदूषण-10.02.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री राज किशोर राय, वाहन सं०-BR09PA-8252 का कहना है कि आवेदनकर्ता बेगूसराय से 10:06 प्रस्थान कर आपत्तिकर्ता के वाहन से मंझौल में आगे हो जाते हैं। आपत्तिकर्ता बेगूसराय से 09:56 में प्रस्थान करते हैं तथा आवेदनकर्ता बेगूसराय से 10:06 में प्रस्थान करते हैं। बेगूसराय से आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन से 10 मिनट बाद प्रस्थान करने के बावजूद मंझौल में आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन से एक मिनट आगे हो जाते हैं तथा अन्य स्थानों पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन के आगे-आगे का समय-सारणी दिये हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं। आवेदनकर्ता प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं जो कंडिका 23 में वर्णित है। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 10:06 09:56 मंझौल प्र० 10:55 10:56 आवेदनकर्ता प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन कर गढ़पुरा में 08 मिनट, मंझौल में 07 मिनट ठहराव दिये हैं, जो प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्रीमती आमा देवी, वाहन सं०-BR09PB-9431 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता हसनपुर प्र० 13:06 13:10	➤ आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3107 डाउन बेगूसराय से हसनपुर है। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट से बेगूसराय में प्रस्थान समय 10:56 पर टकराव नहीं है एवं मंझौल में प्रस्थान समय 10:55 पर टकराव है। आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 को संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है। अतः उक्त टकराव की स्थिति में परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से मुख्य बिन्दु हसनपुर में प्रस्थान समय 13:06 पर टकराव है। आवेदनकर्ता को प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 को संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				हसनपुर मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय-सारणी में 04 मिनट का अन्तराल है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय-सारणी में 05 मिनट का अन्तराल होना चाहिए।	अतः प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने एवं टकराव की स्थिति में परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
9	BR21K-0411 (06.05.2014) श्री आयुष राज, पिता-श्री प्रशांत कुमार, पता-शिवपुरी, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2948, मधरा से मुंगेर। भाया-बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.05.26 फिटनेश-09.10.26 बीमा-25.02.27 प्रदूषण-06.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
10	BR09PB-0976 (17.03.2026) श्री मनीष कुमार सिंह, पिता-श्री विद्यासागर सिंह, पता-गोरगामा, गुरगावन, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.06.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	प्राधिकार की बैठक दि०-17.03.2026 की आपत्ति। ➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती कुमकुम कुमारी, वाहन सं०-BR09PA-8768 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 09:27 09:28 बलिया प्र० 10:08 10:10 खगड़िया प्र० 10:55 10:54 आवेदनकर्ता बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 01 मिनट का अन्तराल है तथा बलिया से आवेदनकर्ता 10:08 में प्रस्थान कर आपत्तिकर्ता के वाहन को ओवरस्टेक कर खगड़िया में पीछे हो जाते हैं। आवेदनकर्ता खगड़िया से 10:55 में प्रस्थान करते हैं। बेगूसराय तथा बलिया में आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में 01-01 मिनट एवं 02 मिनट आगे का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन में वाहन में बैठने की क्षमता 41 का उल्लेख किया है। व्हीलबेस के अनुसार वाहन को किस श्रेणी में निबंधित किया गया है, इसका उल्लेख आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन में नहीं किया है। इस तथ्य की जाँच करवायी जाय कि आवेदनकर्ता का	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आवेदनकर्ता श्री मनीष कुमार सिंह द्वारा वाहन का निबंधन पुस्तिका के साथ संलग्न एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है, परन्तु आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के आवेदित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 09:27(1 मि० आगे) 09:28 बलिया प्र० 10:08(2 मि० आगे) 10:10 खगड़िया प्र० 10:55(1 मि० पीछे) 10:54 आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त टकराव पर आपत्ति दर्ज की गई, परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः मार्ग संख्या भिन्न रहने की

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				वाहन किस श्रेणी में निबंधित है तथा निबंधन नियमानुकूल है या नहीं है।	स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।						
11	BR09PB-0978 (17.03.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-श्री अमरजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.06.26 फिटनेस-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	प्राधिकार की बैठक दि०-17.03.2026 की आपत्ति। ➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं०-BR09M-3060 के निर्गत समय-सारणी के बीच टकराव है। 1. आवेदनकर्ता रूपम कुमारी की वाहन का व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता है या नहीं व्हीलबेस के आधार पर डिलक्स या सेमी डिलक्स है या नहीं इसकी जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय। 2. आवेदनकर्ता कबेला से मेरे समय-सारणी के पीछे चलते हैं। हर बिन्दु पर और मध्य बिन्दु खगड़िया से ओवरटैक करके आगे हो जाते हैं जो निम्न है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र० 09:25</td><td>09:27</td></tr><tr><td>बलिया प्र० 10:03</td><td>10:05</td></tr></table> आवेदनकर्ता जानबूझ कर मेरे दो वाहन को बंद करने की नियत से समय-सारणी किये हैं। 26.02.2026 के बैठक में क्रमांक सं०-25 में BR08P-5839 का परमिट के लिए आवेदन किये थे जो कि जाँच में है। मेरे इस वाहन के समय-सारणी के 01 मिनट, 02 मिनट समय-सारणी का प्रस्ताव दिए हैं। 3. आवेदनकर्ता और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो "न्यायरथ" के बैनर तले परिचालन करते हैं जो कि निबंधन के समय सेमी डिलक्स का टैक्स जमा किए 10534 रु० कुछ दिनों के बाद टैक्स को घटाकर 8647 रु० जमा करने लगे जो कि बिहार सरकार के राजस्व का चोरी का मामला है, जो कि वाहन संख्या निम्न है :-BR09PA-6688, BR09PA-6689, BR09PA-6687, BR09PA-9170 एवं BR09PA-6690, BR06PF-1246 एवं BR06PF-1247 अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन का जिला परिवहन से जाँचोपरान्त कार्रवाई की जाय। जाँच के बाद वाहन स्वामी के परमिट आवेदन	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	खगड़िया प्र० 09:25	09:27	बलिया प्र० 10:03	10:05	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आवेदनकर्ता श्री मनीष कुमार सिंह द्वारा वाहन का निबंधन पुस्तिका के साथ संलग्न एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति लगाया गया है। आपत्तिकर्ता के वाहन सं०-BR09M-3060 का ठहराव परबत्ता 07:10-07:22 अर्थात् 12 मिनट, महेशखूंट 08:25-08:38 अर्थात् 13 मिनट एवं खगड़िया 09:15-09:27 अर्थात् 12 मिनट का अत्यधिक ठहराव लिया गया है। प्राधिकार के निर्णय मुताबिक मात्र 05 मिनट का ठहराव का आदेश है, ऐसी स्थिति में पीछे चलने वाली गाड़ी को आगे निकलना पड़ता है। साथ ही साथ समय-सारणी पर कोई टकराव नहीं है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 में आवेदनकर्ता को वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जा चुका है। आवेदनकर्ता द्वारा कार्यालय में समर्पित निबंधन पुस्तिका की समीक्षा क्रम में पाया गया कि वाहन का निबंधन के अनुसार बैठान क्षमता 41, व्हील बेस 5200 एवं सेमी डिलक्स श्रेणी में संघारित है। परन्तु आवेदनकर्ता द्वारा निर्गत परमिट से खगड़िया एवं बलिया प्रस्थान पर 02 मिनट आगे का समय-सारणी दिया गया है जो प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का समय-सारणी समर्पित करने हेतु प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता										
खगड़िया प्र० 09:25	09:27										
बलिया प्र० 10:03	10:05										

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				पर निर्णय लेने की कृपा की जाय।	03.2026 को एक मौका दिया जा चुका है। अतएव आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
12	BR09PB-0973 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-10.03.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.06.26 फिटनेस-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	प्राधिकार की बैठक दि०-17.03.2026 की आपत्ति। ➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं०-BR09M-3060 के निर्गत समय-सारणी के बीच टकराव है। 1. आवेदनकर्ता बुलबुल देवी व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता है या नहीं वाहन व्हीलबेस के आधार पर डिलक्स या सेमी डिलक्स में निबंधन है या नहीं इसकी जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय। 2. आवेदनकर्ता और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो "न्यायरथ" के बैनर तले परिचालन करते हैं जो कि निबंधन के समय सेमी डिलक्स का टैक्स जमा किए 10534 रु० दो तीन क्वाटर के बाद टैक्स को घटाकर 8647 रु० जमा करने लगे जो कि बिहार सरकार के राजस्व का चोरी का मामला है, जो कि वाहन संख्या निम्न है :-BR09PA-9165, BR09PA-9167, BR09PA-9159, BR09PA-6684 एवं BR09PA-9166 अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन का जिला परिवहन से जाँचोपरान्त कार्रवाई की जाय। जाँच के बाद उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। 3. आवेदनकर्ता मेरे समय-सारणी से मात्र 05 मिनट और 02 मिनट आगे समय-सारणी का प्रस्ताव दिये हैं जो कि प्राधिकार का निर्णय लिया गया था मार्ग समान होने पर नये आवेदक पुराने परमिटधारी के समय से पीछे का समय दिया जायेगा। वाहन स्वामी सिर्फ मुझे परेशान करने के उद्देश्य से समय-सारणी किए हैं। वाहन स्वामी प्राधिकार के साथ सिर्फ समय का छेक कर रखना चाहते हैं किसी अन्य वाहन स्वामी का गाड़ी नहीं चल पाए। वाहन स्वामी के नाम 100 से उपर परमिट	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आवेदनकर्ता का वाहन सं०-BR09PB-0973 श्री मनीष कुमार सिंह द्वारा वाहन का निबंधन पुस्तिका के साथ संलग्न एक आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आपत्तिकर्ता के वाहन सं०-BR09M-3060 का समय-सारणी पर कोई आपत्ति नहीं है। प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 में आवेदनकर्ता को वाहन का निबंधन कराने के उपरान्त एवं प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया गया था। परन्तु आवेदनकर्ता द्वारा निर्गत परमिट से कबेला प्रस्थान पर 08 मिनट आगे, नयागोंव प्रस्थान पर 09 मिनट आगे, परबत्ता प्रस्थान पर 17 मिनट आगे, मरैया प्रस्थान पर 20 मिनट आगे, जमालपुर प्रस्थान पर 20 मिनट आगे, महेशखूंट प्रस्थान पर 28 मिनट आगे, मानसी प्रस्थान पर 30 मिनट आगे, खगड़िया प्रस्थान पर 42 मिनट एवं बलिया प्रस्थान पर 40 मिनट आगे का समय-सारणी दिया गया है जो प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का समय-सारणी समर्पित करने हेतु प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-17.03.2026 को एक मौका दिया जा चुका है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				प्राप्त हैं लेकिन 25 से 30 गाड़ी का ही परिचालन करते हैं। बेगूसराय से भागलपुर मार्ग पर 35 से 40 गाड़ी का दो अप दो डान का परमिट प्राप्त कर मात्र 15 से 20 गाड़ी का परिचालन एक अप एक डाउन करते हैं जो कि महोदय को पूर्व में भी अवगत कराया गया था। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि व्हीलबेस एवं टैक्स जॉच के बाद वाहन स्वामी के परमिट आवेदन पर उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय।	
--	--	--	--	---	--

कार्यावली संख्या - 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
13	BR01PT-0590 (15.03.2017) श्री संजय कुमार, पिता-श्री रामबरण सिंह, पता- पता-शकलदेव नगर, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1524 वार्सलीगंज से बरबीघा। भाया-शाहपुर मोड़ एवं शेखोपुर। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-08.07.26 फिटनेश-25.12.27 बीमा-25.12.26 प्रदूषण-19.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
14	BR09R-5001 (27.02.2015) श्री पवन कुमार, पिता-रामाशीष सिंह, पता-बिहट, बरौनी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2981 अगुवानी घाट से पटना मीठापुर बस स्टैण्ड। भाया-जमालपुर, महेशखूंट, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-26.05.26 फिटनेश-08.03.27 बीमा-23.02.27 प्रदूषण-28.07.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
15	BR09PA-7001 (25.06.2018) श्री अमन कुमार, पिता-रामाशीष सिंह, पता-बिहट, बरौनी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2981 अगुवानी घाट से पटना मीठापुर बस स्टैण्ड। भाया-जमालपुर, महेशखूंट, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-17.06.26 फिटनेश-27.08.26 बीमा-26.06.26 प्रदूषण-26.01.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

16	BR09PB-1044 (30.03.2026) श्री नरेन्द्र कुमार, पिता-श्री अमरेश कुमार सिंह, पता-अशोक नगर, रंजीत होटल के पीछे, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3250 डाउन, बेगूसराय से रोसरा। भाया-मंझौल, चेरियाबरियारपुर, खन्जहापुर एवं रामपुर चौक। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-23.06.26 फिटनेश-29.03.28 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-29.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
17	BR09PB-1045 (30.03.2026) श्री मुकुन्द कुमार, पिता-श्री हरिश्चन्द्र सिंह, पता-मोहनपुर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015, अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-23.06.26 फिटनेश-29.03.28 बीमा-26.03.27 प्रदूषण-29.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
18	BR06PB-7101 (13.04.2013) श्री राज किशोर राय, पिता-स्व0 कुशो राय, पता-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-05.06.26 फिटनेश-14.07.26 बीमा-15.03.27 प्रदूषण-03.07.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
19	BR01PS-3619 (22.03.2017) श्री सुनील कुमार, पिता-श्री रामनंदन सिंह, पता-खेलपुरा, बरबीघा, खेलपुरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1524 डाउन, बरबीघा से वार्सलीगंज। भाया-शेखपुरा एवं शाहपुर। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-30.04.26 फिटनेश-30.07.27 बीमा-29.07.26 प्रदूषण-30.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
20	BR21P-6592 (25.02.2020) श्रीमती जय रानी देवी, पति-श्री संजय कुमार, पता-सकलदेव नगर, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3118, शेखपुरा से बरबीघा। भाया-शेखपुरा रेलवे स्टेशन, गिरिहिण्डा, फरीदपुर एवं हटिया मोड़। ट्रिप-08 (08 अप 08 डाउन)	टैक्स-16.05.26 फिटनेश-11.03.28 बीमा-03.06.26 प्रदूषण-07.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

21	BR08P-5931 (24.02.2026) श्री नित्यानंद सिंह, पिता-श्री रामधन सिंह, पता-गोरगामा, नयागाँव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-16.05.26 फिटनेश-23.02.28 बीमा-16.02.27 प्रदूषण-23.02.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री मुक्ति नाथ, वाहन सं0-BR009PA-8807 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 14:29 14:30 अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 158 पूर्णिया से बेगूसराय है। आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट से बेगूसराय प्रस्थान पर 14:29 पर टकराव है। अतः आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
22	BR01PT-1441 (28.01.2026) श्री रूपेश कुमार, पिता-श्री संजय सिंह, पता-शकलदेव नगर, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2948, मधरा से मुंगेर। भाया-बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.06.26 फिटनेश-27.01.28 बीमा-07.01.27 प्रदूषण-27.01.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
23	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसरहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.06.26 फिटनेश-24.06.26 बीमा-28.04.26 प्रदूषण-27.06.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं0-BR09PA-6809 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये संशोधित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है:- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता महेशखूंट प्र0 17:08 17:10 मानसी प्र0 17:28 17:30 खगड़िया प्र0 17:47 17:49 भागलपुर रेलवे स्टेशन से आवेदनकर्ता का वाहन 14:40 एवं आपत्तिकर्ता का वाहन 13:55 में प्रस्थान करती है। आवेदनकर्ता 45 मिनट पीछे आपत्तिकर्ता से खुलते हैं तथा ओवरटेक कर महेशखूंट, मानसी, खगड़िया में समी जगह पर आगे हो जाते हैं। आवेदनकर्ता का वाहन 5260 व्हील बेस में निबंधित है। सेमी डिलक्स में दो क्वाटर के बाद साधारण वाहन का टैक्स दे रहे हैं। सेमी डिलक्स का टैक्स नहीं दे रहे हैं। आवेदनकर्ता कर चोरी कर राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं।	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट से आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 17:08 पर, मध्य बिन्दु मानसी में प्रस्थान समय 17:28 पर एवं मध्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 17:47 पर टकराव नहीं है। परन्तु आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट से आवेदनकर्ता द्वारा महेशखूंट प्रस्थान पर 02 मिनट आगे, मानसी प्रस्थान पर 02 मिनट आगे एवं खगड़िया प्रस्थान पर 02 मिनट आगे का समय-सारणी दिया गया है, जो प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				प्राधिकार के निर्णय के अनुसार जो कंडिका 23 में वर्णित है। नये आवेदनकर्ता को पूर्व के परमिटधारी के समय-सारणी से पीछे का समय प्रदान किया जायेगा। कोई भी वाहन अपने पूर्ववर्ती वाहन को ओवर टेक नहीं करेंगे। आवेदनकर्ता प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध आवेदन किये हैं। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं०-BR06PF-6809 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है:- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र० 08:50</td><td>08:55</td></tr><tr><td>बलिया प्र० 09:35</td><td>09:35</td></tr></table> आवेदनकर्ता बेगूसराय मुख्य बिन्दु से 05 मिनट आगे खुलकर बलिया में समान समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता का वाहन 5260 व्हील बेस में निबंधित है। सेमी डिलक्स में दो क्वाटर के बाद साधारण वाहन का टैक्स दे रहे हैं। सेमी डिलक्स का टैक्स नहीं दे रहे हैं। आवेदनकर्ता कर चोरी कर राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं। प्राधिकार का निर्णय जो कंडिका 23 में वर्णित है। नये आवेदनकर्ता को पूर्व के परमिटधारी के समय-सारणी से पीछे का समय प्रदान किया जायेगा। कोई भी वाहन अपने पूर्ववर्ती वाहन को ओवर टेक नहीं करेंगे। आवेदनकर्ता प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध आवेदन किये हैं।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र० 08:50	08:55	बलिया प्र० 09:35	09:35	का समय-सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट से आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से मुख्य बिन्दु बेगूसराय में प्रस्थान समय 08:50 पर टकराव नहीं है तथा मध्य बिन्दु बलिया में प्रस्थान समय 09:35 पर टकराव है। प्राधिकार के निर्णयानुसार निर्गत परमिट से पीछे का समय-सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है। अतः आवेदनकर्ता प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता से संबंधित अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता										
बेगूसराय प्र० 08:50	08:55										
बलिया प्र० 09:35	09:35										
24	BR09PA-9683 (10.01.2025) श्री राजीव राय, पिता-कैलाश राय, पता-रजौरा, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3109, सिहम से बेगूसराय। भाया-कचहरी रामपुर, बख्खडडा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-06.07.26 फिटनेस-09.01.27 बीमा-09.01.27 प्रदूषण-15.01.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।						

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

25	BR06PE-4786 (22.07.2019) श्री विजय राय, पिता-श्री कारी राय, पता-रजौरा, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3109, सिहम से बेगूसराय। भाया-कचहरी रामपुर, बख्खडडा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-21.07.26 फिटनेश-24.07.27 बीमा-09.04.27 प्रदूषण-30.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
26	BR27RA-6751 (28.03.2026) श्री तारकेश्वर कुमार, पिता-श्री रामाशीष सिंह, पता-नवादा रोड, सिकन्दरा थाना जिला-जमुई।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3221 डाउन, खैरा से मधरा। भाया-जमुई, सिकन्दरा, चैबारा, गिरिहिण्डा, शेखपुरा, बरबीघा, रामचन्द्रपुर एवं बिहारशरीफ। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-23.06.26 फिटनेश-23.03.28 बीमा-26.09.26 प्रदूषण-27.03.27	आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0-BR01PP-9783 का कहना है कि आवेदनकर्ता खैरा से 05:43 में प्रस्थान करते हैं। आपत्तिकर्ता खैरा से 05:40 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता खैरा से आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से 03 मिनट पहले प्रस्थान कर अन्य बिन्दु पर ओवर टेक कर अन्य स्थानों पर आगे-आगे का समय-सारणी दिये हैं। इसके अतिरिक्त जमुई में 09 मिनट, सिकन्दरा में 08 मिनट, चैबारा में 08 मिनट, शेखपुरा 07 मिनट, रामचन्द्रपुर 19 मिनट, बरबीघा 15 मिनट, शेखपुरा 07 मिनट, गिरिहिण्डा 09 मिनट, चैबारा 07 मिनट का ठहराव दिये हैं जो प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन है।	आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3221 डाउन खैरा से मधरा है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित समय-सारणी में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ाव का पालन नहीं किया गया है। अतः प्राधिकार के निर्णयानुसार आवेदनकर्ता को अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
27	BR09PA-9859 (17.03.2025) श्रीमती लक्ष्मी देवी, पति-श्री विजय राय, पता-रजौरा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3109, सिहम से बेगूसराय। भाया-कचहरी रामपुर, बख्खडडा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-07.06.26 फिटनेश-16.03.27 बीमा-07.03.27 प्रदूषण-16.03.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
28	BR09PB-0945 (06.03.2026) श्री नीरज कुमार सिंह, पिता- श्री नेपो सिंह, पता-खम्हर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144 डाउन, बखरी से बेगूसराय। भाया-पहसारा एवं मंझौल ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-31.05.26 फिटनेश-05.03.28 बीमा-01.03.27 प्रदूषण-05.03.27	आपत्तिकर्ता श्रीमती कुमकुम देवी, वाहन सं0-BR09PA-8162 का कहना है कि आवेदनकर्ता आवेदन मार्ग बखरी से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है। वाहन सं0-BR09PB-0945 के आवेदन एवं वाहन स्वामी श्री नीरज कुमार सिंह, शिवम डिलक्स के वाहन स्वामी के अन्य वाहन से संबंधित व्हील बेस एवं बैठान क्षमता पर आपत्ति पूर्व से है। इनके वाहन सं0-BR34P-3549, BR10PA-5579, BR43P-1809 एवं BR09PA-9700 व्हील बेस एवं बैठान	आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3144 डाउन बखरी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3171 बरौनी जंक्शन से बखरी है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 13:39 (आगे) 13:41 बखरी आ0 15:00 (आगे) 15:01 आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				क्षमता पर आपत्ति के कारण प्राधिकार की बैठक 26.02.2026 में आवेदित आवेदन वापस ले लिया गया था ताकि जो व्हील बेस एवं बैठान क्षमता के जॉच से बचा जा सके। लेकिन बैठक की कार्यवाही में जॉच का आदेश हुआ था जो अप्राप्त है। साथ ही साथ अगली बैठक 17.03.2026 में वाहन सं०-BR34P-3549 के द्वारा पुनः आवेदन किया एवं पुनः व्हील बेस एवं बैठान क्षमता का आपत्ति किया गया लेकिन प्राधिकार के द्वारा बिना जॉच आये आवेदन स्वीकृत कर दिया गया, जो सही नहीं है। वाहन सं०-BR09PB-0945 के व्हील बेस एवं बैठान क्षमता का भी जॉच किया जाय एवं जब तक इनके सभी वाहन सं०-BR10PA-5579, BR43P-1809, BR01PF-4872, BR34P-3549, BR06PC-9933 एवं BR50P-1665 का व्हील बेस एवं बैठान क्षमता के जॉच के बाद ही इनके वाहन सं०-BR09PB-0945 के आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाए। साथ ही साथ वाहन सं०-BR09PB-0945 के आवेदित वाहन के समय-सारणी पर आपत्ति निम्न है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>13:39</td><td>13:41</td></tr><tr><td>बखरी आ०</td><td>15:00</td><td>15:01</td></tr></table> अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं०-BR09PB-0945 के आवेदन पर तब तक विचार न किया जाए जब तक कि BR01PF-4872, BR06PC-9933, BR34P-3549, BR10PA-5579, BR50P-1665 एवं BR43P-1809 के व्हील बेस एवं बैठान क्षमता का जॉच पूरा न हो जाए तब तक वाहन सं०-BR09PB-0945 पर विचार न करने की कृपा की जाए।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	13:39	13:41	बखरी आ०	15:00	15:01	से आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से बेगूसराय प्रस्थान पर 02 मिनट आगे एवं बखरी आगमन पर 01 मिनट आगे का समय-सारणी दिया गया है। परन्तु मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता												
बेगूसराय प्र०	13:39	13:41											
बखरी आ०	15:00	15:01											
29	BR09PB-0991 (05.03.2024) श्री राहुल कुमार सिंह, पिता-श्री कैलाश प्रसाद सिंह, पता-पनहास, सुहिद्र नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144 डाउन, बखरी से बेगूसराय। भाया-पहसारा एवं मंजौल ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-26.05.26 फिटनेश-04.03.28 बीमा-26.02.27 प्रदूषण-14.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।								

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

30	BR01PP-9783 (28.04.2023) श्री महेश पासवान, पिता-श्री विशेश्वर पासवान, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3221 डाउन, खैरा से मधरा। भाया-जमुई, सिकन्दरा, चैबारा, गिरिहिण्डा, शेखपुरा, बरबीघा, रामचन्द्रपुर एवं बिहारशरीफ। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-28.06.26 फिटनेश-05.05.27 बीमा-05.04.27 प्रदूषण-16.07.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
31	BR27C-4001 (07.06.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता-स्व0 दिनेश सिंह, पता-मल्लेयपुर, बरहट, जिला-जमुई।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया-सोनो, जमुई, मल्लेपुर एवं खड़पुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-06.05.26 फिटनेश-07.08.26 बीमा-13.10.26 प्रदूषण-29.07.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री रविन्द्र कुमार, वाहन सं0-BR46P-6270 का कहना है कि आवेदनकर्ता चकाई से 07:55 में तथा आपत्तिकर्ता 08:00 बजे प्रस्थान करते हैं। आपत्तिकर्ता का वाहन मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। आवेदनकर्ता निर्गत परमिट के आगे का समय-सारणी दिया है। आवेदनकर्ता जानबूझकर मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के वाहन को बंद कराने की नियत से चकाई में निर्गत परमिट के आगे 05 मिनट पहले का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं जो प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध है। आवेदनकर्ता पूर्व में कई बार आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के पहले का आवेदन किये हैं जिसे प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0-BR10PC-9317 का कहना है कि आवेदनकर्ता मुंगेर से 01:45 तथा आपत्तिकर्ता 01:50 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता मुंगेर से आपत्तिकर्ता के 05 मिनट पहले प्रस्थान कर खड़गपुर आगमन 15:40 में करते हैं जबकि आपत्तिकर्ता खड़गपुर आगमन 15:25 में करते हैं। पुनः खड़गपुर से आवेदनकर्ता 15:45 में आपत्तिकर्ता के समय-सारणी 15:55 के 10 मिनट पहले प्रस्थान कर मल्लेपुर जमुई तक	➤ आवेदनकर्ता एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3219 डाउन चकाई से मुंगेर है तथा प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या MPPY1556 के तहत सरौन से जमुई है। आवेदनकर्ता एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है तथा प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर टकराव संबंधित आपत्ति की गयी है। प्रथम आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता चकाई प्र0 07:55 (आगे) 08:00 उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा 05 मिनट आगे का प्रस्तावित समय-सारणी दिया गया है, परन्तु प्रथम आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता द्वारा ओवर टेकिंग संबंधित आपत्ति की गयी है। द्वितीय आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता मुंगेर प्र0 01:45 (आगे) 01:50 खड़गपुर प्र0 15:45 (आगे) 15:55 सोनो प्र0 19:15 (पीछे) 19:01 उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा ओवर टेकिंग किया जा रहा है तथा द्वितीय

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के आगे-आगे जा रहे हैं तथा सोनो में पीछे हो जाते हैं। सोनो आगमन 18:56 प्रस्थान 19:01 आपत्तिकर्ता तथा आवेदनकर्ता सोनो आगमन 19:10 प्रस्थान 19:15 पुनः सोनो से आवेदनकर्ता 19:15 में प्रस्थान कर चकाई में पीछे आगमन करते हैं 20:00 बजे करते हैं। इस प्रकार आपत्तिकर्ता 19:46 में चकाई आगमन करते हैं। आवेदनकर्ता सम्पूर्ण मार्ग में ओवरटेक का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता परमिट सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता ओवरटेक कर वाहन का परिचालन कर रहे हैं।	आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या समान है। अतः आवेदनकर्ता को अगली बैठक में उक्त ओवर टेकिंग संबंधित संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
32	BR46P-5366 (24.04.2018) श्री प्रसेनजीत कुमार, पिता-शम्भू शरण सिंह, पता-मल्लेयपुर, जिला-जमुई।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2958, गढ़ी से मुंगेर। भाया-बड़ीबाग, खैरा, जमुई, मल्लेपुर एवं बरियारपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-15.05.26 फिटनेश-05.02.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-27.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0-BR10PC-9317 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता जमुई प्र0 07:47 07:51 मल्लेपुर प्र0 08:20 08:25 आवेदनकर्ता 07:47 में जमुई से प्रस्थान कर मल्लेपुर 08:15 आगमन करते हैं। जबकि आपत्तिकर्ता 07:51 में जमुई से प्रस्थान कर मल्लेपुर 08:11 में आगमन करते हैं। आवेदनकर्ता जमुई से पहले प्रस्थान कर मल्लेपुर आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के बाद आगमन करते हैं। बड़ी बाग से गढ़ी की कुल दूरी 16 किमी0 है लेकिन आवेदनकर्ता अपने समय-सारणी अप में 16 डाउन में 10 किमी0 अंकित है। इस प्रकार आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। आवेदनकर्ता ओवरटेक कर वाहन का परिचालन कर रहे हैं।	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 2958 गढ़ी से मुंगेर है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3219 डाउन चकाई से मुंगेर है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। परन्तु आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के आवेदित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता जमुई प्र0 07:47 (आगे) 07:51 मल्लेपुर प्र0 08:20 (आगे) 08:25 उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा 04 एवं 05 मिनट आगे का प्रस्तावित समय-सारणी दिया गया है। परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

33	BR34P-4001 (10.06.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता-स्व0 दिनेश सिंह, पता-मल्लेयपुर, बरहट, जिला-जमुई।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2958, गढ़ी से मुंगेर। भाया-बड़ीबाग, खैरा, जमुई, मल्लेपुर एवं बरियारपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-01.05.26 फिटनेश-19.03.27 बीमा-05.09.26 प्रदूषण-29.07.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0-BR10Q-1073 का कहना है कि आवेदनकर्ता जमुई से 07:46 में प्रस्थान करते हैं तथा आपत्तिकर्ता जमुई से 07:49 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता से 03 मिनट आगे प्रस्थान कर आवेदनकर्ता के वाहन को ओवरटेक कर मलयपुर से 08:10 में प्रस्थान आपत्तिकर्ता के वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं। मलयपुर में आपत्तिकर्ता का समय-सारणी 08:13 प्रस्थान है। मलयपुर से आवेदनकर्ता 08:10 में प्रस्थान करते हैं जबकि आपत्तिकर्ता मलयपुर से 08:13 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता मल्लेपुर से आपत्तिकर्ता के 03 मिनट पहले प्रस्थान कर मुंगेर आगमन 12:45 में आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से 01 घंटा 55 मिनट बाद करते हैं। आपत्तिकर्ता मुंगेर 10:50 में आगमन करते हैं।	➤ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 2958 गढ़ी से मुंगेर है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3219 डाउन चकाई से मुंगेर है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है, परन्तु आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से आवेदनकर्ता के आवेदित समय-सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता जमुई प्र0 07:46 (3मि0 आगे) 07:49 मलयपुर प्र0 08:10 (3मि0 आगे) 08:13 आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त टकराव पर आपत्ति दर्ज की गई, परन्तु आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्ति अस्वीकृत किया जा सकता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
34	BR01PR-8229 (14.02.2025) श्री महेश पासवान, पिता-श्री विशेश्वर पासवान, पता-इसुआ, ससौर, सरमेश, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3255, मोहाली से बिहारशरीफ। भाया-शिखापुरा एवं बरबीघा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-29.04.26 फिटनेश-13.02.27 बीमा-03.02.27 प्रदूषण-14.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
35	BR01PK-6090 (28.03.2019) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.06.26 फिटनेश-14.07.26 बीमा-15.03.27 प्रदूषण-03.07.26	➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती आभा देवी, वाहन सं0-BR09PA-9431 का कहना है कि आवेदनकर्ता अजनी से 06:10 में प्रस्थान करते हैं तथा आपत्तिकर्ता अजनी से 06:15 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता अजनी से आपत्तिकर्ता के 05 मिनट पहले प्रस्थान कर गढ़पुरा में पीछे हो जाते हैं। आवेदनकर्ता गढ़पुरा प्रस्थान 06:52 आपत्तिकर्ता गढ़पुरा प्रस्थान 06:41 पुनः मंझौल में आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से आगे हो जाते हैं। मंझौल प्रस्थान आवेदनकर्ता 07:24 आपत्तिकर्ता मंझौल प्रस्थान 07:30, गढ़पुरा में आवेदनकर्ता का समय-सारणी 13:42 है तथा आपत्तिकर्ता गढ़पुरा में 13:45 समय-सारणी पूर्व से निर्गत है। इस प्रकार आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के पूर्व	➤ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3189 अजनी से बेगूसराय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है। ➤ आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर टकराव संबंधित कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आपत्तिकर्ता द्वारा समय-सारणी पर ओवर टेकिंग से संबंधित मामले संज्ञान में लाया गया है। आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता अजनी प्र0 06:10 (आगे) 06:15 गढ़पुरा प्र0 06:52 (पीछे) 06:41 मंझौल प्र0 07:24 (आगे) 07:30 गढ़पुरा प्र0 13:42 (आगे) 13:45 उपर्युक्त समय-सारणी से स्पष्ट

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				से निर्गत परमिट के समय-सारणी को प्रस्तावित समय-सारणी से ओवरटेक कर रहे हैं तथा गढ़पुरा में दोनों वाहन के समय-सारणी में 03 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं।	है कि आवेदनकर्ता द्वारा ओवर टेकिंग किया जा रहा है। अतः आवेदनकर्ता को ओवर टेकिंग संबंधित अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
36	BR21K-1811 (29.09.2014) श्री अरुण कुमार, पिता-श्री माराकाण्डे सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2948, मधरा से मुंगेर। भाया-बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा स्टेशन, गिरिहिण्डा, लखीसराय स्टेशन, विद्यापीठ एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.09.26 फिटनेश-05.03.27 बीमा-25.02.27 प्रदूषण-29.11.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या - 03

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
37	BR02PC-2890 (23.04.2025) श्री अभिषेक कुमार, पिता-श्री राम विजय शर्मा, पता-न्यू कोलोनी बागेश्वरी आदर्श ग्यान मंदिर स्कूल के नजदीक, जिला-गया।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-430, गया से जमुई। भाया-वाजीरगंज, हिसुआ, नवादा, पकड़ीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-21.04.26 फिटनेश-22.04.27 बीमा-08.04.26 प्रदूषण-22.04.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

कार्यावली संख्या - 04

प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन हेतु आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
38	BR08P-6601 (07.10.2024) श्री गोपाल कुमार, पिता-शिव शंकर सिंह, पता-राहटपुर, बलिया, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-04.04.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूंट, पसरहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-26.06.26 फिटनेश-06.10.26 बीमा-29.09.26 प्रदूषण-05.10.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः महेशखूंट में प्रस्थान समय 09:05 के स्थान पर 09:03 पर संशोधन की स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

कार्यावली संख्या - 05

अन्यान्य :-

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय														
39	BR06PF-1249 (18.03.2021) श्री नित्यानंद सिंह, पिता-रामधन सिंह, पता-गोरगामा, गुरगावन, जिला-बेगुसराय।	प्रकाशन-31.12.25 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रेस्टे०। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-17.06.26 फिटनेस-02.05.27 बीमा-28.04.27 प्रदूषण-10.05.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं०-BR09M-3171 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>मानसी प्र० 10:10</td><td>10:08</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र० 10:27</td><td>10:29</td></tr><tr><td>बलिया प्र० 11:07</td><td>11:10</td></tr></table> दोनों वाहन के समय-सारणी में मात्र 02 (दो) मिनट का अन्तराल है। पूर्व में प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मध्य बिन्दु पर 05 (पाँच) मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता दो अप दो डाउन का समय-सारणी दिये हैं, जबकि आवेदनकर्ता मात्र एक अप तथा एक डाउन ही वाहन का परिचालन करते हैं। इस तथ्य की जाँच किया जाय कि वाहन स्वामी दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन करते हैं या नहीं। आवेदनकर्ता मात्र परेशान करने के लिए दो अप दो डाउन का समय-सारणी दिये हैं, जबकि वाहन का परिचालन एक अप एक डाउन ही करते हैं। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री अंकज कुमार, वाहन सं०-BR09M-6805 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>नौगछिया जी०मा० प्र० 08:33</td><td>08:34</td></tr><tr><td>थाना बिहपुर प्र० 08:54</td><td>08:55</td></tr></table> नौगछिया जीरोमाईल एवं थाना बिहपुर में दोनों वाहन के समय-सारणी में 01 (एक) मिनट का अन्तराल है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	मानसी प्र० 10:10	10:08	खगड़िया प्र० 10:27	10:29	बलिया प्र० 11:07	11:10	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	नौगछिया जी०मा० प्र० 08:33	08:34	थाना बिहपुर प्र० 08:54	08:55	➤ आवेदनकर्ता, तृतीय आपत्तिकर्ता का मार्ग सं० 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है, प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग सं० 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग सं० 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। आपत्तिकर्ता, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या समान है तथा प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्राधिकार की बैठक दि०-31.01.2026 में दो अप दो डाउन का परिचालन होने संबंधी आपत्ति दर्ज की गई थी, परन्तु इस बैठक में व्हीलबेस से संबंधित आपत्ति दर्ज की गई है। दो अप दो डाउन का परिचालन होने संबंधी जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से जाँच प्रतिवेदन की माँग इस कार्यालय के पत्रांक-39, दि०-10.02.2026 द्वारा की गई थी। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1257, दि०-23.02.2026 से स्पष्ट होता है कि आवेदनकर्ता द्वारा वाहन का परिचालन दो अप दो डाउन का परिचालन नहीं कर सिर्फ एक अप एक डाउन का परिचालन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्तावित आवेदन पर पूर्व से निर्गत परमिट संबंधित आवेदनकर्ता को स्पष्टीकरण किया गया है, परन्तु कार्यालय को उनका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। आवेदनकर्ता का वाहन निबंधन के समय व्हीलबेस के अनुसार सीटों के अनुरूप टैक्स 9065 रु० या 6703 रु० संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त किया
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																		
मानसी प्र० 10:10	10:08																		
खगड़िया प्र० 10:27	10:29																		
बलिया प्र० 11:07	11:10																		
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																		
नौगछिया जी०मा० प्र० 08:33	08:34																		
थाना बिहपुर प्र० 08:54	08:55																		

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

	➤ तृतीय आपत्तिकर्ता श्री अंकज कुमार, वाहन सं०-BR09PA-6655 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच निम्न टकराव है :- <table border="0"><tr><td></td><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>नौगछिया जी०मा० प्र०</td><td>17:52</td><td>17:53</td></tr><tr><td>थाना बिहपुर प्र०</td><td>18:10</td><td>18:10</td></tr><tr><td>महेशखूँट प्र०</td><td>19:02</td><td>19:05</td></tr><tr><td>मानसी प्र०</td><td>19:20</td><td>19:22</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र०</td><td>19:35</td><td>19:38</td></tr><tr><td>बलिया प्र०</td><td>20:10</td><td>20:12</td></tr></table> नौगछिया जी०मा०ईल में 01 (एक) मिनट, थाना बिहपुर में Same Time एवं अन्य स्थान पर 02 (दो) मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन का परिचालन बंद कराने की नियत से इस प्रकार का समय-सारणी दिये हैं। पूर्व में प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मध्य बिन्दु पर 05 (पाँच) मिनट का अन्तराल था।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	नौगछिया जी०मा० प्र०	17:52	17:53	थाना बिहपुर प्र०	18:10	18:10	महेशखूँट प्र०	19:02	19:05	मानसी प्र०	19:20	19:22	खगड़िया प्र०	19:35	19:38	बलिया प्र०	20:10	20:12	जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से वस्तु स्थिति अप्राप्त है, परन्तु आवेदनकर्ता से की गयी स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिउत्तर में वाहन स्वामी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (ग) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (i) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जाता है। अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से वस्तु स्थिति प्राप्त होने के उपरान्त ही परमिट आवेदन पर विचार किया जायेगा।
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																					
नौगछिया जी०मा० प्र०	17:52	17:53																					
थाना बिहपुर प्र०	18:10	18:10																					
महेशखूँट प्र०	19:02	19:05																					
मानसी प्र०	19:20	19:22																					
खगड़िया प्र०	19:35	19:38																					
बलिया प्र०	20:10	20:12																					

कार्यावली संख्या - 06

अन्यान्य :-

क्र. सं.	वाहन स्वामी का नाम/वाहन संख्या	बिन्दु, जिसपर स्पष्टीकरण किया गया	बिन्दु के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित प्रतिउत्तर/तथ्य	प्राधिकार का निर्णय
1	श्रीमती कुमकुम देवी, BR09PA-9206	वाहन संख्या-BR09PA-9206 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2964A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9206 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2964A को मोटर वाहन	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9206 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2964A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9206 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2964A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 86 (1) (क) एवं (घ) के आलोक में रद्द/निलंबित करने संबंधित वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
2	श्री अमरजीत कुमार, BR09PA-9166	वाहन संख्या-BR09PA-9166 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0332A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9166 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या -BR2026-SC-0332A को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 86 (1) (क) एवं (घ) के आलोक में रद्द/निलंबित करने संबंधित वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9166 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0332A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9166 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0332A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			सकता है।	कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
3	श्री बिनीत कुमार, BR09PA-9160	वाहन संख्या-BR09PA-9160 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०- BR2026-SC-0328A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9160 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या- BR2026-SC-0328A को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 86 (1) (क) एवं (घ) के आलोक में रद्द/निलंबित करने संबंधित वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9160 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०- BR2026-SC-0328A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9160 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0328A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (c) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
4	श्री बिनीत कुमार, BR09PA-9782	वाहन संख्या-BR09PA-9782 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०- BR2025-SC-3096A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9782 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या- BR2025-SC-3096A को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 86 (1) (क) एवं (घ) के आलोक में रद्द/निलंबित करने संबंधित वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9782 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०- BR2025-SC-3096A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9160 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-3096A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (c) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			(2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
5	श्रीमती कुमकुम देवी, BR09PA-9170	वाहन संख्या-BR09PA-9170 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0327A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9170 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0327A को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 86 (1) (क) एवं (घ) के आलोक में रद्द/निलंबित करने संबंधित वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9170 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0327A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9170 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0327A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (c) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

6	श्रीमती सुनीता देवी, BR09PA-9163	वाहन संख्या-BR09PA-9163 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0331A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9163 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0331A को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 86 (1) (क) एवं (घ) के आलोक में रद्द/निलंबित करने संबंधित वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9163 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0331A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9163 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0331A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
7	श्री अजीत कुमार, BR09PA-9826	वाहन संख्या-BR09PA-9826 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0329A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9826 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0329A को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 86 (1) (क) एवं (घ) के आलोक में रद्द/निलंबित करने संबंधित वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9826 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2026-SC-0329A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9826 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0329A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/—(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
8	श्रीमती सुधा सिंह, BR09PB-0225	वाहन सं०—BR09PB-0225 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट संख्या—BR2026-SC-0342A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या—BR09PB-0225 बस का निर्गत परमिट सं०—BR2026-SC-0342A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर में प्रतिहस्ताक्षर हेतु मान्य शुल्क के साथ जमा किया गया है। परमिट प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त ही मैं अपनी वाहन का परिचालन शुरू कर दूँगी।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०—3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/—(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
9	श्री मुक्ति नाथ, BR09PA-7093	वाहन सं०—BR09PA-7093 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०—BR2026-SC-0361A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या—BR09PB-0225 बस का निर्गत परमिट संख्या—BR2026-SC-0361A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०—3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से

अपर समाहर्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	अप दो डाउन वाहन का परिचालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर में प्रतिहस्ताक्षर हेतु मान्य शुल्क के साथ जमा किया गया है। परमिट प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त ही मैं अपनी वाहन का परिचालन शुरू कर दूंगा।	बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
10	श्री राज कुमार, BR08P-5491	वाहन सं०-BR08P-5491 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2120A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR08P-5491 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2120A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR08P-5491 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या- BR2025-SC-2120A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ कि मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
11	श्री चुनचुन सिंह, BR06PF-9121	वाहन सं०-BR06PF-9121 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2022-SC-2417A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR06PF-9121 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2022-SC-2417A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR06PF-9121 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2022-SC-2417A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
12	श्री अंकज कुमार, BR09PA-6805	वाहन सं०-BR09PA-6805 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2527A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-6805 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2527A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-6805 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			BR2025-SC-2527A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
13	श्री अंकज कुमार, BR09PA-6655	वाहन सं0-BR09PA-6655 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2116A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-6655 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2116A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-6655 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2116A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
14	श्री अंकज कुमार, BR08P-5564	वाहन सं०-BR08P-5564 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-1760A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR08P-5564 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-1760A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या- BR08P-5564 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-1760A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
15	श्रीमती कुमकुम कुमारी, BR08P-5489	वाहन सं०-BR08P-5489 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2114A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR08P-5489 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2114A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या- BR08P-5489 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2114A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/—(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
16	श्रीमती कुमकुम कुमारी, BR06PF-8311	वाहन सं०—BR06PF-8311 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०—BR2021-SC-1669A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या—BR06PF-8311 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०—BR2021-SC-1669A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या—BR06PF-8311 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या—BR2021-SC-1669A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०—3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/—(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

17	श्री संजय कुमार, BR06PF-6809	वाहन सं०-BR06PF-6809 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2022-SC-2363A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR06PF-6809 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2022-SC-2363A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR06PF-6809 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2021-SC-1669A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
18	श्री मनोज कुमार, BR06PG-9121	वाहन सं०-BR06PG-9121 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2995A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR06PG-9121 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2995A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR06PG-9121 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2995A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/-(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
19	श्री संजय कुमार, BR08P-5490	वाहन सं0-BR08P-5490 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2784A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR08P-5490 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2784A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR08P-5490 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या- BR2025-SC-2784A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/-(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
20	श्रीमती कुमकुम कुमारी, BR09PA-8311	वाहन सं0-BR09PA-8311 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2525A का बेगूसराय से	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-8311 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2525A का बेगूसराय से	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-8311 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2525A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
21	श्री रंजन कुमार, BR09PA-6809	वाहन सं0-BR09PA-6809 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2022-SC-0202A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-6809 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2022-SC-0202A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-6809 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2022-SC-0202A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
22	श्री पिंकु कुमार सिंह, BR09PA-6406	वाहन सं०-BR09PA-6406 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-1758A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-6406 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-1758A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-6406 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-1758A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
23	श्रीमती कुमकुम कुमारी, BR09PA-8768	वाहन सं०-BR09PA-8768 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2118A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-8768 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2118A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	संख्या-BR09PA-8768 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2118A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
24	श्री सुधीर कुमार, BR06PF-1251	वाहन सं०-BR06PF-1251 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2963A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR06PF-1251 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2963A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR06PF-1251 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2963A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है,	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
25	श्रीमती संध्या कुमारी, BR06PF-1247	वाहन सं०-BR06PF-1247 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2026-SC-0412A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR06PF-1247 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2026-SC-0412A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR06PF-1247 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2026-SC-0412A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
26	श्री नित्यानंद सिंह, BR06PF-1250	वाहन सं०-BR06PF-1250 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2022-SC-2291A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR06PF-1250 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2022-SC-2291A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR06PF-1250 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2022-SC-2291A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
27	श्रीमती बुलबुल देवी, BR09PA-9783	वाहन सं०-BR09PA-9783 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2715A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9783 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2715A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9783 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2715A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			किया जा सकता है।	कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
28	श्रीमती कुमकुम देवी, BR09PA-9829	वाहन सं०-BR09PA-9829 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2966A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9829 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2966A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9829 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2966A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
29	श्रीमती कुमकुम देवी, BR08P-5749	वाहन सं०-BR08P-5749 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2978A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR08P-5749 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2978A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR08P-5749 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2978A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/-(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
30	श्रीमती रूपम कुमारी, BR09PA-9781	वाहन सं0-BR09PA-9781 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2960A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9781 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2960A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9781 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2960A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/-(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
31	श्रीमती रूपम कुमारी, BR09PA-9543	वाहन सं0-BR09PA-9543 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2959A का बेगूसराय से	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9543 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2959A का बेगूसराय	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225

अपर समाहती-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9543 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2959A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
32	श्री रंजीत कुमार, BR09PA-9168	वाहन सं0-BR09PA-9168 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2716A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या- BR09PA-9168 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं0-BR2025-SC-2716A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9168 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2716A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है,	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं0-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
33	श्री रंजीत कुमार, BR09PA-9608	वाहन सं०-BR09PA-9608 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2958A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9608 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2958A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9608 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2958A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
34	श्री विनीत कुमार, BR09PA-9159	वाहन सं०-BR09PA-9159 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2105A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9159 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2105A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9159 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			BR2025-SC-2105A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/—(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
35	श्री विनीत कुमार, BR09PA-9172	वाहन सं०—BR09PA-9172 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०—BR2025-SC-2961A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या—BR09PA-9172 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०—BR2025-SC-2961A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या—BR09PA-9172 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या—BR2025-SC-2961A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०—3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/—(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं।

अपर समाहर्ता—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
36	श्रीमती सुनीता देवी, BR09PA-6688	वाहन सं०-BR09PA-6688 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2957A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-6688 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2957A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-6688 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2957A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
37	श्रीमती सुनीता देवी, BR09PA-9161	वाहन सं०-BR09PA-9161 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2108A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9161 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2108A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9161 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2108A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
38	श्रीमती सुनीता देवी, BR08P-5755	वाहन सं०-BR08P-5755 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2977A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR08P-5755 परमिट सं०-BR2025-SC-2977A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR08P-5755 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2977A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

39	श्रीमती विनीता कुमारी, BR09PA-9830	वाहन सं०-BR09PA-9830 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2109A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9830 परमिट सं०-BR2025-SC-2109A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9830 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2109A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
40	श्रीमती विनीता कुमारी, BR09PA-9171	वाहन सं०-BR09PA-9171 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०- BR2025-SC-2724A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या- BR09PA-9171 परमिट सं०- BR2025-SC-2724A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9171 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2724A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
41	श्री अमरजीत कुमार, BR09PA-9542	वाहन सं०-BR09PA-9542 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2723A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9542 परमिट सं०-BR2025-SC-2723A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9542 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2723A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
42	श्री अमरजीत कुमार, BR09PA-9544	वाहन सं०-BR09PA-9544 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2522A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9544 परमिट सं०-BR2025-SC-2522A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9544 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2522A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
43	श्री अजीत कुमार, BR09PA-9832	वाहन सं०-BR09PA-9832 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2519A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9832 परमिट सं०-BR2025-SC-2519A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9832 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2519A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि

अपर समाहर्ता सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

			तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
44	श्री अजीत कुमार, BR09PA-6689	वाहन सं०-BR09PA-6689 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2106A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-6689 परमिट सं०-BR2025-SC-2106A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-6689 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2106A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5 में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/- (दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
45	श्री अजीत कुमार, BR09PA-9165	वाहन सं०-BR09PA-9165 बस इस कार्यालय से निर्गत परमिट सं०-BR2025-SC-2521A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने के संबंध में वाहन स्वामी को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया।	वाहन स्वामी का कहना है कि वाहन संख्या-BR09PA-9165 परमिट सं०-BR2025-SC-2521A का बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दो अप दो डाउन वाहन का परिचालन नहीं करने एवं वाहन संख्या-BR09PA-9165 को इस प्राधिकार से निर्गत परमिट संख्या-BR2025-SC-2521A के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कहा गया है कि	प्राधिकार की बैठक में उपस्थित वाहन स्वामी के प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता से विमर्श से यह स्पष्ट हुआ की मार्ग सं०-3225 अप एवं डाउन भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय तथा बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दो अप दो डाउन परिचालन में व्यवहारिक कठिनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के उपधारा 5

अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		वाहन का परिचालन परमिट के शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो मोटर वाहन नियमावली के नियम 79 (C) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 72 (2) (a) के तहत परमिट में शर्त पृष्ठांकित है, कि वाहन का परिचालन परमिट में अंकित मार्ग पर की जानी है, यदि नहीं किया जाता है, तो परमिट का शर्त का उल्लंघन है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के तहत रद्द पर विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसी धारा का उपधारा (5) में प्रावधानित है, कि यदि वाहन स्वामी अर्थदण्ड पर सहमत हो तो अर्थदण्ड अधिरोपित के साथ परमिट को रद्द/निलंबन से मुक्त किया जा सकता है।	में प्रावधानित है कि प्राधिकरण परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है। तदनुसार वाहन स्वामी के उपस्थित प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि दो अप दो डाउन ट्रिप का कटौती कर एक अप एक डाउन कर दिया जाय एवं अर्थदण्ड के रूप में प्रति वाहन 10,000/—(दस हजार) रुपये मात्र की सहमति हुई। वाहन स्वामी अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से जमा कर पूर्व से निर्गत परमिट को दो ट्रिप में से किस ट्रिप में वर्तमान में परिचालन करने हेतु इच्छुक हैं। इस संबंध में अपना प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी एवं प्रारंभ बिन्दु में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
--	--	--	---


अपर समाहर्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :-सा10-01-01/2025.....216...../परि0, मुंगेर, दिनांक-05/05...../2026

प्रतिलिपि :-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।